न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 11/2022

मंजू देवी पत्नी श्री नारायण गिरी जाति स्वामी निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

वादीया..................

बनाम

1. AVAADA SUNRAYS ENERGY PRIVATE LIMITED ADDRESS C-11 SECTOR 65 GAUTAM BUDDH NAGAR NAIDA UP 201301
2. किशनसिंह पुत्र सकतसिंह जाति राजपूत निवासी नांदडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू0अ0 कोलायत

प्रतिवादीगण.........

उपस्थिति :–

1. अरूण राठौड अधिवक्ता वादी
2. रामचन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24.02.2022

वादपत्र अन्तगर्त धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नोखडा में खसरा नंबर 61 में 15.3257 हैक्टर है जिसमें वादीया का 1/10 हिस्सा है। वादीया अपने हक हिस्से तक प्रतिवादीगण के साथ अच्छी से अच्छी व मंदी सें मंदी भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने की अधिकारी है व इसी गर्ज से वाद पेश किया है। प्रत्युतर में प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि वादीया स्वंय खाता विभाजन नहीं करवाना चाहती बल्कि प्रतिवादी स्वंय खाता विभाजन करवाने को तैयार है, तत्पर है। वाद स्वीकार किया जाकर सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। वाद में विवाद की स्थिति नहीं होने व वादीया एंव प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन करवाने के लिए आपसी सहमति होने से वाद में तनकियात व अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से वाद गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस समायत की गई। वकील वादीया ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में निहीत उसके हक अधिकारों पर विपरीत असर डाले बगैर आराजी मुतनाजा का खाता विभाजन किया जावे प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के वकील ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष की बहस पर विवेचन किया। वाद मुख्यतः खाता विभजन के लिए है। पक्षकारों में आपसी सहमति होने से वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व, कोलायत ग्राम नोखडा के खसरा नंबर 61 तादादी 15.3257 हैक्टर वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर लगान कायम कर, नक्शा में रंग प्रदर्शित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

प्राथमिक डिकी पृथक से जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व, कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिपिबद्ध करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

निर्णय डिकी की प्रति तहसीलदार राजस्व, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Scanned with CamScanner